न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–30 / 2021 (2021 / 166) वाद पत्र

अनवान

1–पप्पुसिंह आत्मज लालसिंह राजपूत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादी

बनाम

1–भैरूसिंह आत्मज लालसिंह राजपूत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–रतनसिंह आत्मज मोहनसिंह राजपूत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3–राजकंवर बेवा लालसिंह राजपूत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4–राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5–ग्राम सेवा सहकारी समिति आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा जरिये व्यवस्थापक

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. लोकेशसिंह – वादी अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः–30 / 11 / 2021

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बकाण पटवार हल्का आशाहोली तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी के पिता लालसिंह आत्मज खुमाणसिंह राजपूत निवासी लखाहोली के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1/1 रकबा 5 बिस्वा, 2/1 रकबा 3 बिस्वा, 3/1 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, 6/1 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 9/1 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा भूमि साबिक राजस्व खाता संख्या 183 पर दर्ज होकर स्थित है। खातेदार लालसिंह पिता खमाणसिंह राजपूत का स्वर्गवास होने के बाद उनकी विरासत का नामान्तकरण संख्या 702 पटवारी हल्का द्वारा भैरूसिंह, मदनसिंह, भगवतसिंह, भारतसिंह, आत्मज लालसिंह राजकंवर बेवा लालसिंह राजपूत के नाम दिनांक 15.12.2001 को फैसल कर दिया। वादी का नाम पप्पुसिंह आत्मज लालसिंह होते हुए भी भगवत सिंह पिता लालसिंह राजपूत के नाम गलत रूप से फैसल कर दिया। वादी के समस्त मूल दस्तावेज में पप्पुसिंह आत्मज लालसिंह राजपूत दर्ज है। वादी के परिवार के बने राशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, विद्यालय रेकार्ड मे भी वादी के [illegible] आत्मज लालसिंह राजपूत ही अकिंत है जिससे राजस्व रेकार्ड में वादी का [illegible] आत्मज लालसिंह के बजाय पप्पुसिंह आत्मज लालसिंह राजपूत [illegible] करने की [illegible] डिक्री करवाई जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। ग्राम बकाण का न[illegible] साबिक आराजियात [illegible] नवीन नम्बर आराजी संख्या 7, 8, 9, 15, 16, 18, 39, 40, 41 कुल किता 9 कुल रकबा 1.74 है0 राजस्व खाता संख्या 151 पर कायम किये गये है जिनमें इन्द्राज दुरस्ती की जानी है। अतः वादी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:05:35 IST
Reason: SelfAttested

सादर प्रार्थना है कि इन्द्राज दुरस्ती की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम बकाण पटवार हल्का आशाहोली के वर्तमान खाता संख्या 151 में खातेदार भगवतसिंह आत्मज लालसिंह राजपूत के बजाय पप्पुसिंह आत्मज लालसिंह राजपूत अकिंत कराया जाकर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरस्ती कराई जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 08 / 09 / 2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रतिवादी संख्या 3 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उपस्थित जिनकी ओर से जवाब प्रस्तुत कर वादी का नाम भगवतसिंह के बजाय पप्पुसिंह आत्मज लालसिंह राजपूत करने में कोई आपत्ति नही कर सहमति व्यक्त की गई और प्रतिवादी की पहचान अधिवक्ता अमरसिंह के द्वारा की गई। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 फॉरमल पक्षकार है।

वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के समर्थन में वादी की ओर से दस्तावेज प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

मैने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध साबिक एवं नवीन रेकार्ड अधिवक्ता की बहस पर मनन करने से पाया कि वादी का नाम दौराने विरासत के पप्पुसिंह के बजाय भगवत सिंह दर्ज कर दिया जबकि वास्तविक नाम पप्पुसिंह होना वादी के सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा भी वाद की ताहिद करते हुए नाम भगवतसिंह के बजाय पप्पुसिंह दर्ज करने में कोई आपतित नही कर सहमति व्यक्त की गई। ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार कर राजस्व रेकार्ड में इन्दाज दुरस्ती की जाना उचित है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बकाण तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित नवीन आराजी नम्बर 7, 8, 9, 15, 16, 18, 39, 40, 41 कुल किता 9 कुल रकबा 1.74 है0 भूमि में खातेदार भगवतसिंह पिता लालसिंह 1/5 के बजाय पप्पुसिंह पिता लालसिंह 1/5 राजपूत के नाम दर्ज करने की स्वीकृती दी जाती है। इस आदेश के पूर्व किसी भी वित्तीय सस्था मे कोई लेनदारी या देनदारी भगवतसिंह पुत्र लालसिंह के नाम की गई हो आज के बाद भगवत सिंह के नाम की जो भी राजकीय बकाया हो उसका भुगतान पप्पुसिंह पिता लालसिंह राजपूत द्वारा किया जायेगा उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेदार है। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी होकर राजस्व रेकार्ड में अमल हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर [illegible] जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30.11.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:05:35 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—30/2021 (2021/166) वाद पत्र

अनवान

1—पप्पुसिंह आत्मज लालसिंह राजपूत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादी

बनाम

1—भैरूसिंह आत्मज लालसिंह राजपूत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

2—रतनसिंह आत्मज मोहनसिंह राजपूत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

3—राजकंवर बेवा लालसिंह राजपूत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

4—राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

5—ग्राम सेवा सहकारी समिति आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा जरिये व्यवस्थापक

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बकाण तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित नवीन आराजी नम्बर 7, 8, 9, 15, 16, 18, 39, 40, 41 कुल किता 9 कुल रकबा 1.74 है0 भूमि में खातेदार भगवतसिंह पिता लालसिंह 1/5 के बजाय पप्पुसिंह पिता लालसिंह 1/5 राजपूत के नाम दर्ज करने की स्वीकृती दी जाती है। इस आदेश के पूर्व किसी भी वित्तीय सस्था मे कोई लेनदारी या देनदारी भगवतसिंह पुत्र लालसिंह के नाम की गई हो आज के बाद भगवत सिंह के नाम की जो भी राजकीय बकाया हो उसका भुगतान पप्पुसिंह पिता लालसिंह राजपूत द्वारा किया जायेगा उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेदार है।

वाद में डिक्री आज दिनांक 30.11.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

30-11-2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:05:35 IST
Reason: SelfAttested